Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में खनिज विभाग के सहायक खनिज अभियंता व वरिष्ठ सहायक को 6 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *22 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी स्पेशल यूनिट उदयपुर द्वारा कार्यवाही करते हुये नरेन्द्र जटिया, सहायक खनिज अभियंता व हरिप्रसाद राव, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग, ऋषभदेव जिला उदयपुर को परिवादी से 6 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट उदयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके ठेकेकदारी कार्य में निर्माणाधीन सरकारी विघालय हेतु एसटीपी जारी करने की एवज में नरेन्द्र जटिया, सहायक खनिज अभियंता व हरिप्रसाद राव, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग, ऋषभदेव जिला उदयपुर द्वारा 7500 रूपयें की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की स्पेशल यूनिट उदयपुर के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री प्रमेन्द्र कुमार** एवं उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये नरेन्द्र जटिया पुत्र श्री धेवरराम जटिया निवासी पीपाड शहर जिला जोधपुर हाल सहायक खनिज अभियंता कार्यालय सहायक खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग, ऋषभदेव जिला उदयपुर को परिवादी से 5 हजार रूपयें व हरिप्रसाद राव पुत्र श्री शंकर लाल निवासी 5 ग 5, रामसिंह जी बाडी हिरण मगरी सेक्टर 11 उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग, ऋषभदेव जिला उदयपुर को परिवादी से 1 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।